न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–9/2019(जीसीएमएस नम्बर 2019/00057)

01. रतीराम पुत्र श्योनारायण, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

01. कॅवर सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
02. सुबे सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
03. बरकत सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
04. सतबीर सिंह पुत्र लोकराम, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

––असल रेस्पोडेन्ट्स

05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम अलवर।
06. अतर सिह पुत्र श्योनारायण, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
07. अजीत सिंह पुत्र श्योनारायण, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
08. तारा देवी पुत्री श्योनारायण, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
09. सोना देवी पुत्री पुत्र श्योनारायण, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
10. संसार देवी पत्नि लालसिंह, जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
11. महीपाल पुत्र लालसिंह जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
12. चुन्नीलाल पुत्र लाल सिंह जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
13. कैलाश पुत्री जलाल सिंह जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
14. सरोज पुत्री लाल सिंह जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
15. धर्मपाल पुत्र यादराम जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
16. रोहिताश पुत्र यादराम जाति अहीर, निवासी दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह राठौड एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री महेश चन्द शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांक 21.02.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेनट सख्या 5 लगायत 16 को अप्रार्थीगण बनाते हुय दायर किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बावजूद अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम कोई नोटिस व सम्मन जारी नही किये गये और ना ही किसी नोटिस या सम्मन की तामिल कराई गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी आदेश देने से पूर्व पत्रावली का पूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी में जारी किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हे कि जब असल रेस्पोडेन्ट स्वयं इस तथ्य को स्वीकार कर है कि हम अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 140 से लगती हुई है ओर हमे इसी वजह से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया गया है तो कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सम्बन्धित पक्षकार को बिना सुने कोई आदेश पारित नही करना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया हे कि असल रेस्पोडेन्ट बहुत चालक किस्म के व्यक्ति है जिन्होने तहसीलदार कोटकासिम के विरूद्ध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी हम अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को पक्षकार नही बनाया जबकि कानूनन उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में जो पक्षकार थे उन्हे आवश्यक रूप से पक्षकार बनाना चाहिये था लेकिन असल रेस्पोडेन्ट ने बाला–बाला प्रार्थना पत्र मुन्तकिली का निर्णय भी दिनांक 17.12.2018 को करा दिया जो उनकी बदनियति पर आधारित है और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.04.2018 से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया था इसलिये पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23.06.2017 को पेश होने के आदेश दिये गये थे, इस आदेशिका में कैम्प कुतुबपुर में पत्रावली पेश होने का कोई उल्लेख नही किया गया है फिर भी पत्रावली कैम्प कोर्ट कुतुबपुर में कैसे किस आदेश से प्रस्तुत की गई। यह विचारणीय प्रश्न है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 03.08.2016

P.T.O.

के सीमाज्ञान की कोई जानकारी नही दी गई और ना ही दिनांक 10.08.2016 व 17.10.2016 की सूचना दी गई समस्त कार्यवाही बाला–बाला अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पीछे से की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिनांक 23.07.2016 को पारित किया गया है व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 0.53 हैक्टयर ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थिति है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर वे शान्तिपूर्वक काबिज व दखल होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपनी उक्त आराजी की एवं फसल इत्यादि की सुरक्षार्थ पत्थरगढी हेतु अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2016 के अनुसार पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 की पालना में रेस्पोडेन्ट की आराजी की पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। इसलिये हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है एवं उक्त पत्थरगढी का एतराज करने का क्षेत्राधिकार अपीलार्थी को कानूनन प्रदत्त नही है। उन्होने दौराने बहस यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी भी अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाले इसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को व अन्य को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश किया गया था जिसमें दिनांक 11.04.2017 को अपीलार्थी एवं अन्य पक्षकारान को तलब किये जाने के आदेश हुए है किन्तु प्रकरण में अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को किसी कोई नोटिस जारी नही किये गये और तत्पश्चात् अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को बिना सूचित किये बिना किसी आदेश के दिनांक 23.06.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट कुतुबपुर में पेश होकर अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नॉन स्पीकिंग अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

21/2/24

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/2/24

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।